तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2-6-2015 कैम्प अमरगढ	पत्रावली आज लोक अदालत में मुख्यालय अमरगढ पर पेश हुई। वादी जगदीशसिंह व प्रतिवादी रणजीतसिंह उपस्थित है। दोनो पक्षों की समझाइश की गई। पक्षकारों ने राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि दोनों भाई मौके पर जो जमीन जोत रहे है, उसे जोतते रहेंगे। दोनों पक्ष एक दूसरे के कब्जे की जमीन में दखलन्दाजी नही करेंगे। एक दूसरे की डौल मेड़ नही तोड़ेंगे तथा पाइपों को नही दबायेंगे। आज वादी यह दावा वापस लेता है। जगदीशसिंह प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार दावा निर्णित करते हुए वादी को दावा वापिस किया जाता है। राजीनामे अनुसार दावा में डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (रवि कुमार शर्मा, Adv.) सदस्य लोक अदालत गंगापुर सिटी (मुनिदेव यादव) अध्यक्ष लोक अदालत गंगापुर सिटी एवं उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) अमरगढ

पीठासीन अधिकारी—: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

जगदीश सिंह पि. मु. गजराज सिंह, राजपूत निवासी मच्छीपुरा तह0 गंगापुर सिटी ——वादी

बनाम

रणजीत सिह पुत्र छोटू सिंह उर्फ गोकुल सिंह राजपूत नि. मच्छीपुरा तह0 गंगापुर सिटी

——प्रतिवादी

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. — 115/2010

वादी की ओर से वादी जगदीश सिह की व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी रणजीत सिंह की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 02.06.2015 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादी व प्रतिवादी न0 1 जिस जमीन को जोत रहे है। उस जमीन को जोतते रहेगे। दोनो पक्ष एक दूसरे की काश्त मे दखलअंदाजी नही करेगे। एक दूसरे के ट्रेक्टरो को नही रोकेगे, डोल मेड को नही छेडेगे एवं बिछे हुए पाइपो को नही हटायेगे। इसके साथ ही वादी को दावा वापिस लेने की अनुमति दी जाती है।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 02.06.2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (राज.)

मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प		शपथ पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 .....रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			
जोड		जोड	

प्रपत्र-4

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान :- अमरगढ़

राजीनामा प्रपत्र

दिनांक 2-6-2015

श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय,,

गंगापुर सिटी

जगदीशसिंह बनाम रणजीतसिंह

प्रकरण संख्या :- 115/2010 अन्तर्गत धारा 188 R.T. Act.

उपर्युक्त प्रकरण में प्रार्थी/वादी श्री जगदीशसिंह राजपूत मच्छीपुरा

निवेदन है कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो गया है व अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं। हमारा आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :-

मैंने स्थाई निषेधाज्ञा का एक दावा रणजीतसिंह के नाम किया है। आपसे यह तय किया है कि हम दोनों भाई जो जमीन मौके पर जोत रहे हैं उसे जोतते रहेंगे। आज मैं अपना यह दावा वापस लेता हूं। दोनों पक्ष एक दूसरे की कब्जे की जमीन में दखलंदाजी नहीं करेंगे। एक दूसरे की डोल-मेड़ नहीं तोड़ेंगे तथा पाइपों को नहीं हटायेंगे।

अतः श्रीमान् से निवेदन है, कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमें का निस्तारण करने की कृपा करें।

जगदीशसिंह

वादी पक्ष 1. जगदीशसिंह

2. राजपूत मच्छीपुरा

3. ....

4. ....

प्रतिवादी पक्ष 1. रणजीतसिंह रणजीतसिंह राजपूत

2. मच्छीपुरा

3. ....

4. ....

सरपंच ग्राम पंचायत अमरगढ़ गंगापुर सिटी (स०मा०)

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर ....

नाम ....

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर ....

(प्रतिवादी पक्ष) नाम ....

प्रधानाध्यापक राजकीय ... विद्यालय (स०मा०)

प्रार्थी/वादी जगदीशसिंह एवं अप्रार्थी/प्रतिवादी रणजीतसिंह द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामें की इबारत को सुन व समझ कर सही होना पाया गया। अतः राजीनामा हरबख्वाहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

(ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य)

(रविकुमार शर्मा, एड०)

सदस्य

लोक अदालत

गंगापुर सिटी

(मुनिदेव यादव)

पीठासीन अधिकारी